

प्रेषक,

श्री श्री० अमृतान्
उप तावद्
उत्तर प्रदेश राजन्।

लेखा ५.

लेटरो

लेटर सेंटर ओर्ड आफ लेटरोरी एवेन्यु
2/242 लैंग्याप्लाटर, असारो ग्रो, दिल्ली
पोल ८८८८-११०००२

लिटरा ११२१ अमृतान्

लखनऊ, दिनांक २६ अक्टूबर, १९८४

लिखित:- लेटरामेरित बान्डेन्ट स्कूल, अमृतान्दुर को अनापत्ति प्रमाण पत्र।

महोदय,

मुझे यह कहने का निश्चय हुआ है कि लेटरामेरित बान्डेन्ट स्कूल, अमृतान्दुर को लेन्ड्रल ओर्ड आफ लेटरोरी एवेन्यु, नई दिल्ली से सम्बद्ध होने में इस राज्य तत्कार को अनिमानीकित भाँती के उपीन जापति न होनी :-

तात्पार्य प्रतिलिप्न

- १- लैंग्या दो राज्य तत्कार द्वारा ओर्ड अन्दान वहीं दिया जायगा।
- २- लैंग्या के अध्यापक/अध्यापिकाओं प्रतिरक्षा होगी। लैंग्या के शिक्षक तथा शिक्षिकों द्वारा अध्यापिकाओं को राज्यकीय शिक्षा लैंग्याओं के कर्मवारियों को अनुमत्य दिये जाएं।
- ३- राज्य तत्कार अमृता राज्य तत्कार के शिक्षा विभाग द्वारा जो भी झाड़े नियम लिये जाएं, उनका पालन करना लैंग्या के लिये अनियार्थ होगा।
- ४- विद्यालय में अमृतान्दम तथा शिक्षा का स्तर उच्च कीटि का रक्त जायगा।
- ५- विद्यालय विभागीय निरीक्षा ऐसु तरीके उपलब्ध रहेगा।
- ६- इन्हें दर ५ लैंग्या द्वारा लैंग्याकोटि के लिये विभाग का अनुक्रोदन द्वारा दिया जाये।
- ७- यह उपरोक्त भाँती में से किसी भी भाँति का किसी तरफ उल्लंघन किया जायगा तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लिया जायगा।

किसी उपलब्ध

- १- विद्यालय की प्रवर्धन तकिति का वैकीकरण तोताइटीय रजिस्ट्रेशन एवं लैंग्या २१, १८०६ ई० के उपीन भराया जाय तथा नियमानुसार नवीनीकरण भी तरफ घर भराया जाय।
- २- विद्यालय के प्रवर्धन क्षम एवं दुर्गात्मक क्षमा की चलाया जाय।
- ३- कर्मवारियों की लेवा भाँति बनायी जाय तथा उन्हें अन्य अमृतान्दीय उच्कार यात्रा विद्यालय के कर्मवारियों को अनुमत्य लेवा निवृत्त जाम उपलब्ध करायें जाये।
- ४- विद्यालय का लेवा जीवा विधानित वैचिकाओं/पुस्तकों में रक्त जाय।

भवदीय

लैंग्या 2264/11/15-12-84-101201/83

एहिलिए निमानीकित को दूर्वापी एवं आवायक कार्यालयी उप तावद्

श्री० अमृतान्
उप तावद्

- १- शिक्षा ग्रा०, ३०५०, छात्रावाद। २- उप शिक्षा निदेशक, भिकाराद।
- ३- शिक्षा विद्यालय विधान, अमृतान्दुर। ४- निरीक्षक, ओर्ड भारतीय विद्यालय, ३०५०, लखनऊ।
- ५- प्रमाण-कार्य, लखनऊ ३०५०, लखनऊ-२५२०५५।

